

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)

क्रमांक:स्था./2026/32

दिनांक: 23-4-26

//संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय आदेश//

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं उमेश वीर आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा प्रशासनिक आधार पर इस कार्यालय के पूर्व कार्यालय आदेश क्रमांक:25 दिनांक 30.03.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए न्यायिक अधिकारी श्रीमती मधु शर्मा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-09 लालसोट जिला-दौसा की दिनांक 26.04.2026 को नियत प्रोटोकॉल /रिमाण्ड ड्यूटी को निरस्त करते हुए तालिका में अंकित न्यायिक अधिकारी की प्रोटोकॉल /रिमाण्ड ड्यूटी निम्नानुसार लगाई जाती है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	दिनांक
01.	श्रीमती रोमा भाटिया	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांंदीकुई	26.04.2026

नोट:-शेष पूर्व आदेश यथावत रहेगा।

उमेश वीर
(उमेश वीर)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)

दिनांक:- 23-4-26

क्रमांक:- 1036

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 01- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा
- 02- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, दौसा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- 03- श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा
- 04- सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री
- 05- प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय दौसा
- 06- लोक अभियोजक, जिला न्यायालय दौसा
- 07- अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर दौसा
- 08- उप- निदेशक, अभियोजन विभाग दौसा
- 09- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम दौसा
- 10- जिला कारागृह दौसा
- ✓ 11- सिस्टम ऑफीसर जिला न्यायालय दौसा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालय को मेल करें तथा जिला न्यायालय दौसा की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
- 12- आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

उमेश वीर
(उमेश वीर)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)